राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस–नोट

दिनांक 05.08.2019

आयोग द्वारा दिनांक 02.09.2018 को आयोजित प्रधानाध्यापक (मा.वि.) प्रतियोगी परीक्षा, 2018 के अन्तर्गत पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची दिनांक 19.07.2019 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कांउसलिंग दिनांक 06.08.2019 से आयोजित की जा रही है। उक्त काउंसलिंग में उपस्थिति होने वाले अभ्यर्थी आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का भली–भांति अध्ययन करते हुए समस्त शैक्षणिक–प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र की एक फोटो–प्रति सेट और मूल दस्तावेज के साथ स्वयं उपस्थित होवें।

इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा में कतिपय अभ्यर्थियों ने विभिन्न कारणों से माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की है और उनमें निर्णय भी पारित किया गया है। अतः कांउसलिग में उपस्थिति होने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें माननीय न्यायालय में याचिका दायर की और उनमें निर्णय भी पारित हुआ है, वे अभ्यर्थी संबंधित न्यायिक आदेश की प्रति भी साथ लावें और काउण्टर पर जमा करावें। उपरोक्तानुसार आयोग को सूचित नही किये जाने की स्थिति में न्यायिक प्रकरण में संभावित अवमानना कार्यवाही की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

(के0के0 शर्मा)
सचिव